भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: *12
दिनांक 02 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आशा कार्यकर्ता

***12. श्री गजानन कीर्तिकर:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आशा कार्यकर्ताओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न जिलों में आशा कार्यकर्ताओं को पारिश्रमिक/मानदेय के रूप में कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है;

(ग) क्या आशा कार्यकर्ताओं को दिया जाने वाला वेतन सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार चपरासियों के न्यूनतम वेतन से काफी कम है;

(घ) आशा कार्यकर्ताओं के न्यूनतम वेतन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ड.) क्या आशा कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले मानदेय की कोई राशि सरकार के पास लंबित है और यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त अवधि के दौरान आशा कार्यकर्ताओं को भुगतान किए गए मुआवजे में कुल कितनी वृद्धि हुई है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 02 फरवरी, 2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *12 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

****

(क) एनएचएम-एमआईएस रिपोर्ट (30.09.2023 तक) के अनुसार, गोवा और चंडीगढ़ को छोड़कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत आशाकर्मियों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख) से (घ) आशाकर्मियों को सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक माना जाता है और विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत विशिष्ट कार्यकलाप पूरे करने के बाद उन्हें कार्यनिष्पादन आधारित प्रोत्साहन दिए जाते हैं। जिन कार्यकलापों के लिए आशाकर्मियों को प्रोत्साहन दिए जाते हैं, उनका समय-समय पर विस्तार किया जाता है। आशाकर्मियों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है;

- **आर्थिक प्रोत्साहन –** आशाकर्मियों को केंद्र सरकार से नियमित और आवर्ती कार्यकलापों के लिए 2000 रुपये प्रति माह का मासिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके अतिरिक्त, आशाकर्मियों को विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों के लिए कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में आशाकर्मियों को कई प्रकार के आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लचीलापन रखा गया है। आशाकर्मियों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों का विवरण निम्नलिखित यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर उपलब्ध है:

https://nhsrcindia.org/sites/default/files/2024-01/ASHA%20Incentives.pdf

आयुष्मान आरोग्य मंदिर के शुभारंभ के बाद, आशाकर्मी निगरानी किए जाने वाले कार्य-निष्पादन संकेतकों के आधार पर एएनएम के साथ टीम आधारित अतिरिक्त प्रोत्साहन (टीबीआई) (1000 रुपये प्रति माह तक) के पात्र हैं।

- **गैर-आर्थिकप्रोत्साहन – आशाकर्मी गैर-आर्थिक प्रोत्साहन** के भी पात्र हैं जैसे – आशाकर्मी वर्दी, पहचान पत्र, साइकिल, मोबाइल, सीयूजी सिम, आशाकर्मी डायरी, ड्रग किट, आशाकर्मी पुरस्कार, आशाकर्मी विश्राम कक्ष आदि।

इसके अलावा, वर्ष 2018 में, भारत सरकार द्वारा आशाकर्मियों के महत्वपूर्ण योगदान और प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हुए आशाकर्मी लाभ पैकेज शुरू किया गया था। इसमें निम्नलिखित घटक शामिल थे-

क) नियमित और आवर्ती प्रोत्साहन राशि को 1000 रुपये प्रति माह से दोगुना बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति माह करना।

ख) निम्नलिखित योजनाओं में नामांकन के माध्यम से सभी पात्र आशाकर्मियों को जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और पेंशन के सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना –

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) – बीमा किए गए व्यक्ति की मृत्यु के मामले में 2.00 लाख रुपये के लाभ के साथ (भारत सरकार द्वारा अंशदान किया गया वार्षिक प्रीमियम)।

- प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) - आकस्मिक मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता की स्थिति में 2.00 लाख रुपए का लाभ; आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1.00 लाख रुपये का लाभ (भारत सरकार द्वारा अंशदान किया गया वार्षिक प्रीमियम)।

इसके अलावा, आशाकर्मियों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह के पेंशन लाभ के साथ प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन (पीएम-एसवाईएम) भी उपलब्ध है (प्रीमियम का 50% अंशदान भारत सरकार द्वारा और 50% लाभार्थियों द्वारा) । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आशाकर्मियों को परिभाषित पात्रता मानदंडों के अनुसार उपर्युक्त सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में सम्मिलित किया गया है।

उपरोक्त प्रोत्साहनों के अलावा, न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद कार्यक्रम छोड़ने या छोड़ने का विकल्प चुनने वाली आशाकर्मियों को उनकी सेवा, महत्वपूर्ण योगदान और प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हुए,

एनएचएम के तहत 20,000 रुपये का नकद प्रोत्साहन और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रशस्ति-पत्र दिया जाता है।

महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय निगरानी रिपोर्टों (एफएमआर) के अनुसार केंद्रीय रिलीज, राज्य रिलीज और खर्च न की गई शेष राशि (वर्ष की शुरुआत में) के संबंध में पिछले पांच वर्षों अर्थात वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आशाकर्मी प्रोत्साहन संबंधी व्यय का ब्यौरा **अनुलग्नक - II** में दिया गया है।

(ङ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उनकी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर और उनकी संसाधन क्षमता (आरई) के अध्यधीन आशाकर्मियों को प्रोत्साहन सहित स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एकमुश्त निधियां भी जारी की जाती हैं।

(च) आशाकर्मियों के लिए वर्ष 2019 से विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत विभिन्न कार्यकलापों के लिए कार्य-निष्पादन आधारित प्रोत्साहनों में वृद्धि का ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में दिया है।

अनुलग्नक -I

एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत आशाकर्मी				
क्र.सं.	राज्य	एनआरएचएम	एनयूएचएम	कुल
1	बिहार	94337	639	94976
2	छत्तीसगढ़	68251	3295	71546
3	हिमाचल प्रदेश	7893	31	7924
4	जम्मू और कश्मीर	13133	136	13269
5	झारखंड	39964	2325	42289
6	मध्य प्रदेश	64885	4288	69173
7	ओडिशा	47082	2112	49194
8	राजस्थान	49295	4347	53642
9	उत्तर प्रदेश	160575	9515	170090
10	उत्तराखंड	10813	1205	12018
11	अरुणाचल प्रदेश	4068	102	4170
12	असम	31334	1166	32500
13	मणिपुर	3928	81	4009
14	मेघालय	6811	260	7071
15	मिजोरम	1004	87	1091
16	नागालैंड	1949	220	2169
17	सिक्किम	641	35	676
18	त्रिपुरा	7135	528	7663
19	आंध्र प्रदेश	36915	5643	42558
20	गुजरात	39079	5245	44324
21	हरियाणा	17696	2631	20327
22	कर्नाटक	38135	3198	41333
23	केरल	22243	4205	26448
24	महाराष्ट्र	62092	10320	72412
25	पंजाब	17416	2684	20100
26	तमिलनाडु	2608	2256	4864
27	तेलंगाना	23000	5160	28160
28	पश्चिम बंगाल	61565	6237	67802
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	412	10	422
30	दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव	365	75	440
31	दिल्ली	0	6200	6200
32	लद्दाख	605	0	605
33	लक्षद्वीप	110	0	110
34	पुदुचेरी	0	332	332
कुल		**935339**	**84568**	**1019907**

नोट: गोवा और चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आशाकर्मी हैं।

स्रोत: सितंबर 2023 तक एनएचएम-एमआईएस

अनुलग्नक -II

<u>राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आशाकर्मी प्रोत्साहन के लिए वित्त वर्ष-2018-19 से 2022-23 तक किया गया व्यय</u>

(लाख रुपए में)

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>राज्य/संघ राज्य क्षेत्र</th><th>2018-19</th><th>2019-20</th><th>2020-21</th><th>2021-22</th><th>2022-23</th></tr>
<tr><td>1</td><td>अंडमान और निकोबार द्वीप समूह</td><td>91.67</td><td>61.95</td><td>130.20</td><td>210.07</td><td>103.04</td></tr>
<tr><td>2</td><td>आंध्र प्रदेश</td><td>6,557.82</td><td>10,623.54</td><td>11,225.51</td><td>9,629.63</td><td>1,660.65</td></tr>
<tr><td>3</td><td>अरुणाचल प्रदेश</td><td>663.28</td><td>866.50</td><td>1,235.15</td><td>1,132.58</td><td>1,600.91</td></tr>
<tr><td>4</td><td>असम</td><td>12,539.66</td><td>13,528.31</td><td>9,619.47</td><td>6,941.57</td><td>11,106.50</td></tr>
<tr><td>5</td><td>बिहार</td><td>16,961.02</td><td>21,303.36</td><td>22,540.24</td><td>4,644.26</td><td>33,139.23</td></tr>
<tr><td>6</td><td>छत्तीसगढ़</td><td>13,123.47</td><td>24,518.77</td><td>24,813.51</td><td>4,330.25</td><td>23,077.21</td></tr>
<tr><td rowspan="2">7</td><td>दमन और दीव</td><td>32.66</td><td>36.10</td><td rowspan="2">104.86</td><td rowspan="2">93.47</td><td rowspan="2">104.08</td></tr>
<tr><td>दादरा और नागर हवेली</td><td>82.58</td><td>101.72</td></tr>
<tr><td>8</td><td>दिल्ली</td><td>11.31</td><td>3.23</td><td>1.65</td><td>1.86</td><td>2,068.94</td></tr>
<tr><td>9</td><td>गुजरात</td><td>17,032.87</td><td>19,489.58</td><td>20,925.19</td><td>8,237.40</td><td>14,757.27</td></tr>
<tr><td>10</td><td>हरियाणा</td><td>3,989.21</td><td>5,789.35</td><td>5,615.51</td><td>5,087.83</td><td>6,399.52</td></tr>
<tr><td>11</td><td>हिमाचल प्रदेश</td><td>3,305.51</td><td>3,584.41</td><td>4,307.32</td><td>6,345.45</td><td>6,668.99</td></tr>
<tr><td>12</td><td>जम्मू और कश्मीर</td><td>2,347.75</td><td>3,698.54</td><td>3,772.44</td><td>4,936.44</td><td>3,766.83</td></tr>
<tr><td>13</td><td>झारखंड</td><td>9,791.32</td><td>13,058.16</td><td>14,056.28</td><td>13,991.61</td><td>16,501.60</td></tr>
<tr><td>14</td><td>कर्नाटक</td><td>8,246.98</td><td>12,563.79</td><td>11,848.62</td><td>7,127.02</td><td>10,706.61</td></tr>
<tr><td>15</td><td>केरल</td><td>1,150.16</td><td>4,281.02</td><td>8,215.03</td><td>1,501.01</td><td>7,868.19</td></tr>
<tr><td>16</td><td>लक्षद्वीप</td><td>0.12</td><td>12.55</td><td>22.16</td><td>19.76</td><td>27.40</td></tr>
<tr><td>17</td><td>मध्य प्रदेश</td><td>17,947.42</td><td>28,749.40</td><td>30,051.32</td><td>27,106.79</td><td>23,526.57</td></tr>
<tr><td>18</td><td>महाराष्ट्र</td><td>22,551.47</td><td>26,305.10</td><td>29,453.97</td><td>19,326.48</td><td>23,078.27</td></tr>
<tr><td>19</td><td>मणिपुर</td><td>537.65</td><td>1,042.73</td><td>1,021.26</td><td>925.18</td><td>1,017.29</td></tr>
<tr><td>20</td><td>मेघालय</td><td>1,444.46</td><td>1,609.31</td><td>2,209.93</td><td>2,103.33</td><td>2,013.19</td></tr>
<tr><td>21</td><td>मिजोरम</td><td>280.69</td><td>339.82</td><td>234.17</td><td>302.25</td><td>273.32</td></tr>
<tr><td>22</td><td>नागालैंड</td><td>262.54</td><td>365.43</td><td>434.96</td><td>587.38</td><td>382.01</td></tr>
<tr><td>23</td><td>ओडिशा</td><td>11,309.45</td><td>17,732.39</td><td>20,307.07</td><td>16,637.43</td><td>18,855.24</td></tr>
<tr><td>24</td><td>पुदुचेरी</td><td>5.36</td><td>53.29</td><td>45.85</td><td>-</td><td>114.30</td></tr>
<tr><td>25</td><td>पंजाब</td><td>4,719.52</td><td>6,430.65</td><td>5,251.67</td><td>3,378.06</td><td>6,962.56</td></tr>
<tr><td>26</td><td>राजस्थान</td><td>9,382.38</td><td>12,524.14</td><td>14,266.97</td><td>10,390.31</td><td>10,872.31</td></tr>
<tr><td>27</td><td>सिक्किम</td><td>125.58</td><td>81.15</td><td>170.38</td><td>139.51</td><td>217.41</td></tr>
<tr><td>28</td><td>तमिलनाडु</td><td>1,144.55</td><td>764.33</td><td>1,324.53</td><td>1,692.44</td><td>1,004.85</td></tr>
<tr><td>29</td><td>त्रिपुरा</td><td>1,809.68</td><td>2,400.93</td><td>2,477.67</td><td>1,290.85</td><td>2,844.86</td></tr>
<tr><td>30</td><td>उत्तर प्रदेश</td><td>48,863.72</td><td>59,141.17</td><td>58,653.14</td><td>51,259.26</td><td>51,591.86</td></tr>
<tr><td>31</td><td>उत्तराखंड</td><td>1,938.63</td><td>2,908.60</td><td>3,804.39</td><td>4,115.20</td><td>3,743.46</td></tr>
<tr><td>32</td><td>पश्चिम बंगाल</td><td>15,353.89</td><td>15,799.30</td><td>16,243.07</td><td>2,463.77</td><td>15,030.66</td></tr>
<tr><td>33</td><td>तेलंगाना</td><td>11,814.23</td><td>5,487.42</td><td>20,799.91</td><td>9,029.61</td><td>7,423.22</td></tr>
<tr><td>34</td><td>लद्दाख</td><td>-</td><td>-</td><td>175.72</td><td>182.87</td><td>342.33</td></tr>
</table>

नोट:

1. गोवा और चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आशाकर्मी मौजूद हैं।
2. व्यय में वर्ष के आरंभ में केन्द्रीय रिलीज, राज्य रिलीज से किया गया व्यय और व्यय न की गई शेष राशि शामिल हैं।
3. व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार है।

अनुलग्नक-III

आशा कार्यकर्ताओं के लिए 2019 से विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत विभिन्न कार्यकलापों के लिए कार्य निष्पादन-आधारित प्रोत्साहनों में वृद्धि का विवरण

क्र.सं.	कार्यकलाप	पिछला प्रोत्साहन	वर्तमान प्रोत्साहन रूपए में /मामला
	बाल स्वास्थ्य		
1	एसएएम बच्चों को एनआरसी में रेफर करने और सुविधा केंद्र, एनआरसी या गंभीर अत्यधिक कुपोषण (एसएएम) प्रबंधन केंद्र से छुट्टी के बाद एसएएम बच्चों की निगरानी के लिए आशाकर्मी प्रोत्साहन में संशोधन।	एसएएम बच्चों की प्रति अनुवर्ती विजिट रु. 150/-(वर्ष 2014 में शुरू किया गया)।	• चिकित्सीय जटिलता वाले एसएएम बच्चे को एनआरसी में रेफर करने के लिए, आशा प्रोत्साहन 100/- रु. प्रति रेफरल। • एनआरसी से छुट्टी पा चुके एसएएम बच्चों के फोलो-अप विजिट के लिए, प्रति बच्चा 150/- रु. प्रति फोलो-अप (पहले और चौथे विजिट के लिए 50/- रुपये प्रति विजिट और दूसरे और तीसरे विजिट के लिए 25/- रुपये प्रति विजिट)।(वर्ष 2022 में संशोधित) 50/- प्रति एसएएम बच्चा, यदि बच्चे को सभी अनुवर्ती कार्रवाई पूरी करने के बाद एसएएम स्थिति से मुक्त घोषित किया जाता है।(वर्ष 2022 में संशोधित)

मातृ स्वास्थ्य			
1	ई-पीएमएसएमए के तहत मोबिलाइजेशन	-	उच्च जोखिम में गर्भावस्था वाली महिलाओं को सुविधा केन्द्र तक लाने के लिए 300 रुपये प्रति आशाकर्मी तथा फोलो-अप के लिए 3 विजिट तक 100/- प्रति विजिट की दर से (वर्ष 2022 में शुरू किया गया)।
2	ई-पीएमएसएमए के तहत स्वास्थ्य परिणाम	-	प्रसव के 42 दिनों के बाद बच्चे और माता दोनों की उत्तरजीविता सुनिश्चित करने के बाद 500/- रुपये (वर्ष 2022 में शुरू किया गया)
3	प्रसव पश्चात अवधि के दौरान –एचआरपी की पहचान के लिए आशाकर्मी प्रोत्साहन	-	250/- रुपये (वर्ष 2023 में शुरू किया गया)
	राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी)		
1	एनटीईपी के तहत टीबी भुगतान के लिए उपचार शुरू होने के 15 दिनों के भीतर निक्षय पोर्टल में अधिसूचित टीबी रोगियों के बैंक खाते के विवरण सुनिश्चित करने के लिए आशाकर्मी या सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रोत्साहन		अधिसूचित टीबी रोगी के लिए निक्षय पोर्टल पर बैंक खाते का विवरण दर्ज कराने के लिए 50 रुपये/ (वर्ष 2023 में शुरू किया गया)
2	पात्र व्यक्तियों में टीवी उपचार के पालन और टीबी निवारक उपचार को पूरा करने में सहायता के लिए आशाकर्मी कयÊदम स स्वास्थ्य स्वयंसेवी को प्रोत्साहन देने का प्रावधान		टीबी निवारक उपचार सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रति व्यक्ति 250/- रुपये।
3	अतिरिक्त वयस्क बीसीजी लाभार्थियों के लिए आशाकर्मी या अन्य मोबिलाइजर्स के माध्यम से लाभार्थी को जुटाना	-	₹150 (वर्ष 2023 में शुरू किया गया) - प्रति सेशन

4	नियत सूची तैयार करने के लिए आशाकर्मी प्रोत्साहन (वयस्क बीसीजी टीकाकरण के लिए लाभार्थियों की सूची को मासिक आधार पर अद्यतन करने के लिए)	-	100*रूपए 3 माह (यदि मोप-अप अपेक्षित है तो) (वर्ष 2023 में शुरू किया गया)
5	अभियान से पहले घर-घर सर्वे के लिए आशाकर्मी प्रोत्साहन।	-	अभियान के दौरान एक बार 100/- रुपये (2023 में शुरू किया गया)
	राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम		
1	आरडीटी पॉजिटिव पीएफ मामलों के लिए पूर्ण उपचार प्रदान करना	आरडीटी पॉजिटिव पीएफ मामलों के लिए 20 रुपये और रक्त स्लाइड द्वारा पता लगाए गए पॉजिटिव पीएफ और पीवी मामले के लिए पूर्ण रेडिकल उपचार के लिए 50/- रुपये। वर्ष 2014 में इसे संशोधित कर 75/- रुपये कर दिया गया था	रु. 200/- पुष्ट रोगी पूर्ण उपचार सुनिश्चित करने के लिए। (2022 में संशोधित)
2	ब्लड स्लाइड द्वारा पता लगाए गए पॉजिटिव पीएफ और पीवी मामले को औषध व्यवस्था के अनुसार संपूर्ण रेडिकल उपचार प्रदान करना		
	काला अजार उन्मूलन		
1	कालाजार त्वचीय लीशमैनियासिस (पीकेडीएल) मामले को रेफर करने के लिए आशाकर्मियों को प्रोत्साहन		500/-रूपए प्रति मामला (निदान के समय 200/-रूपए और उपचार पूरा होने के बाद 300/-रूपए) (वर्ष 2022 में शुरू किया गया)
	आशा प्रमाणन		
1	आशाकर्मियों और आशा सहायिकाओं के लिए नकद में प्रोत्साहन पुरस्कार जिन्होंने दो स्वतंत्र प्रमाणपत्रों में प्रमाणित किया है: 1-आरएमएनसीएचए+एन 2- विस्तारित सेवा एनसीडी से पेलिएटिव देखभाल के लिए पैकेज		सभी आशाकर्मियों के लिए 5000- रूपए और आशा फैसिलिटेटर जो सफलतापूर्वक दो स्वतंत्र प्रमाणपत्रों में एनआईओएस द्वारा प्रमाणन प्राप्त करते है: क-आरएमएनसीएचए+एन ख- गैर-संचारी रोगों से प्रशामक देखभाल तक नई सेवाओं का विस्तारित पैकेज

			कुल प्रोत्साहन: 5000-रूपए *2 (दो स्वतंत्र प्रमाण पत्र) = 10,000/-रूपए (वर्ष 2022 में शुरू किया गया)
	विभिन्न आईटी पोर्टलों में आभा आईडी के निर्माण और सीडिंग की सुविधा		
1	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के विभिन्न आईटी पोर्टलों में सृजित और डाले गए एबीएचए खाते के लिए आशाकर्मी को प्रोत्साहन		प्रत्येक आभा खाता बनाने/सीडी के लिए आशाकर्मी को 10/-रूपए (वर्ष 2022 में शुरू किया गया)

*****